

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45005/प्रधानाचार्य/डीपीसी-16-17/2016/ दिनांक:- 13 मई, 2016

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/II के ग्रुप डी-III में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-III) पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/बी-III/ प्रधानाचार्य/डीपीसी /2016-17/16 दिनांक:- 29.04.2016 द्वारा चयन किये जाने पर राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर प्रफौर्मा पदोन्नति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	वर्ष	वर्ष	नाम कार्मिक सर्व श्री...	जन्म तिथि	वर्तमान पद विषय	पदोन्नति पर पदस्थापन जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान/ जिला
1	121	04-05	डॉ० राजेन्द्र कुमार	19-11-71	व्याख्याता भूगोल	बून्दी	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, हिण्डोली (बून्दी)
2	577	07-08	मनोज मीणा	02-04-80	व्याख्याता हिन्दी	दौसा	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, लालसोट (दौसा)
3	331	06-07	प्रवीण सिंह भाटी	10-05-76	व्याख्याता रा.विज्ञान	जैसलमेर	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, जैसलमेर
4	332	06-07	उमरदीन छीपा	01-07-76	व्याख्याता रा.विज्ञान	नागौर	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, जायल जिला नागौर
5	862	03-04	इन्द्रजीत सिंह चौहान	15-05-73	व्याख्याता इतिहास	डूंगरपुर	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, आसपुर डूंगरपुर
6	84	04-05	नवनीत कुमार जोशी	05-09-56	व्याख्याता हिन्दी	भीलवाडा	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल कोटडी भीलवाडा
7	536	06-07	ओम प्रकाश तेली	10-2-77	व्याख्याता अर्थशास्त्र	सवाई माधोपुर	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, सवाई माधोपुर
8	559	03-04	कमलेश गुरु	01-01-69	व्याख्याता हिन्दी	अलवर	प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, रामगढ, अलवर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी पदोन्नति पदस्थापन पर कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से विभागीय ई-मेल आईडी0 पर उपलब्ध करवावें।



(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रंमॉकः- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45005/प्रधानाचार्य/डीपीसी-16-17/2016/

दिनॉकः- 13 मई, 2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2)/कार्मिक (क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, रमसा-जयपुर को सूचनार्थ।
05. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
06. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्थापन-/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/प्रभारी बी-3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक-कार्मिक